

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या-1186 / 2022

एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या-1187 / 2022

आदेश दिनांक:-

27.05.2022

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता

उपस्थित:-

अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी :- श्री वी.पी.माथुर

अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी :- श्री महेन्द्र शर्मा

एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या-1186 / 2022

प्रत्यर्थीगण/क्लेमेंट्स की ओर से योग्य अधिवक्ता श्री महेन्द्र शर्मा केविएट पर उपस्थित हैं ।

प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 को अपील व स्थगन प्रार्थना पत्र के नोटिस दिनांक 26.07.2022 की वापसी के लिए जारी किए जावें ।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही एक सप्ताह में करें ।

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जावे ।

यदि अपीलार्थी द्वारा एक माह की अवधि में न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, प्रिटिंग एवं स्टेशनरी गबन प्रकरण एवं मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, जयपुर जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय व पंचाट दिनांक 16.03.2022 की सम्पूर्ण राशि अधिकरण में जमा करा दी जाती है तो आगामी आदेश तक आक्षेपित निर्णय व पंचाट की क्रियान्विति/ निष्पादन की कार्यवाही स्थगित रहेगी ।

अपीलार्थी द्वारा उपरोक्तानुसार राशि जमा करा दिए जाने पर क्लेमेंट्स/प्रत्यर्थीगण संख्या 1/1 व 1/2 उक्त राशि में से 50% राशि आक्षेपित पंचाट के अनुसार प्राप्त कर सकेंगे बशर्ते कि क्लेमेंट्स/प्रत्यर्थीगण

संख्या 1/1 व 1/2 अधिकरण की संतुष्टि की स्वयं की इस आशय की सशपथ Undertaking प्रस्तुत कर दें कि यदि इस अपील का अंतिम निर्णय उनके विरुद्ध हो जाता है तो वे प्राप्त की गई राशि व उस पर प्राप्ति की तिथि से अदायगी तिथि तक 6% वार्षिक दर से ब्याज सहित अपीलार्थी को लौटा देंगे। शेष 50% राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में एक वर्ष की अवधि के लिए FDR/FDR's के रूप में निवेश की जावे एवं आवश्यकता होने पर उसका/उनका समय समय पर नवीनीकरण करवाया जावे ।

(न्या० प्रकाश गुप्ता)